प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर</u>

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-2457/2009

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-3202/2009

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-2807/2009

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-5074/2009

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-4141/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश उदघोषणा हेतु दिनाँक 7.12.2011 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-2457/2009

याचिकाकर्तागण - **संजय तिवारी एवं अन्य**

बनाम

उत्तरदातागण- **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-3202/2009

याचिकाकर्तागण - **अनंत वर्मा एवं अन्य**

बनाम

उत्तरदातागण- **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-2807/2009

याचिकाकर्तागण - **नरेंद्र कुमार धीवर एवं अन्य**

बनाम

उत्तरदातागण- **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-5074/2009

याचिकाकर्ता - **शम्भू कुमार गुप्ता**

बनाम

उत्तरदातागण- छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-4141/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता - **अभिषेक कुमार पाण्डेय**

बनाम

उत्तरदातागण- **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

याचिककर्तागण की ओर से- श्री पराग कोटेचा, श्री विजय देशमुख, श्री प्रतीक शर्मा, श्री सोमकान्त वर्मा और श्री अमृतो दास अधिवक्तागण

उत्तरदाता/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से- श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री बी. डी. गुरु अधिवक्तागण

उत्तरदाता/ राज्य की ओर से- श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप-महाधिवक्ता

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

आदेश

(07.12.2011)

" चूँकि वह प्रश्न जिसका याचिकाओं में न्यायनिर्णय किया जाना है एक ही है, इसलिए उपरोक्त सभी याचिकाओं का निराकरण इस समान आदेश द्वारा किया जाता है।

2. इन सभी याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के आक्षेपित परिणाम को चुनौती दिया है।

3. "मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर** द्वारा दिनांक 03.11.2008 को विज्ञापन क्रमांक-09/2008 प्रकाशित किया गया था,जिसमें **छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा नियम** (जिसे एतस्मिनपश्चात 'परीक्षा नियम' कहा गया है) के नियम 1 के तहत निर्धारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, विभिन्न उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म भरे और प्रारंभिक परीक्षा, जो दिनांक 01.02.2009 को आयोजित की गई थी,में भाग लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सुविधा की दृष्टि से, यह **उचित होगा** कि इन सभी मामलों में **मांगे गए अनुतोषों** का उल्लेख किया जाए, जो कि **निम्नानुसार** हैं:-

5. **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक - 2457/09 (संजय तिवारी व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व अन्य)</u>** में, याचिककर्तागण द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग किया गया है-

> 10.2 यह कि माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण प्रकृति का रिट जारी करें, जिसके माध्यम से उत्तरदाता लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 06.05.09 के 'रोजगार और नियोजन' में प्रकाशित प्रारंभिक परीक्षा 2008 के परिणाम को रद्द किया जाए और उत्तरदाता को निर्देश दिया जाये कि वह विधि के अनुसार सही प्रश्नों और उत्तरों पर आधारित उचित गणना के आधार पर नया परिणाम घोषित करे।
>
> 10.3 यह कि **माननीय न्यायालय** कृपया उत्तरदाता को यह निर्देश दे कि वह चयन प्रक्रिया में **निष्पक्षता और पारदर्शिता** के दृष्टिगत चयनित उम्मीदवारों की

नई प्रावीण्य सूची घोषित करे, जिसमें नाम, अनुक्रमांक और **समग्र प्रावीण्य सूची** के साथ-साथ **श्रेणीवार प्रावीण्य सूची** में प्राप्त **स्थान** का उल्लेख हो।

याचिककर्तागण के अनुसार सेट- डी के प्रश्न क्रमांक-13, 16, 25, 39, 52, 58, 81 और 82 में कुछ त्रुटियाँ है।

6. **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-2807/09 (नरेंद्र कुमार धीवर व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व अन्य)** में, याचिककर्तागण द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग किया गया है:-

10.2 यह कि माननीय न्यायलय राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2008, जो दिनांक 1.02.09 को आयोजित किया गया था तथा जिसका परिणाम (अनुलग्नक पी/1) उत्तरदाता द्वारा जारी किया गया था और जो दिनांक 06.05.09 के रोजगार और नियोजन में प्रकाशित किया गया था, को रद्द करने हेतु कृपया उत्प्रेषण प्रकृति का रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.3 यह कि माननीय न्यायालय से यह सविनय प्रार्थना है कि उत्तरदाता को यह आदेशित करने की कृपा करें कि वह याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य सभी अभ्यर्थियों के अंकों का सही प्रश्नों एवं उत्तरों के आधार पर सटीक गणना करते हुए पुनर्मूल्यांकन करे तथा तदनुसार नया परीक्षा परिणाम घोषित करे।

याचिककर्तागण के अनुसार सेट-ए का प्रश्न क्रमांक-2, 24, 27, 50, 86, 87 और 88 गलत है और प्रश्न क्रमांक-10 के सम्बन्ध में दो विकल्प 'अ' और 'स' सही है।

प्रश्न क्रमांक-65 के सम्बन्ध में, याचिककर्तागण के अनुसार सही उत्तर 'अ' है जबकि मॉडल उत्तर- 'स' है।

7. **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-3202/09 (अनंत वर्मा व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व अन्य)** में,याचिककर्तागण द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग किया गया है-

10.2 यह कि माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण प्रकृति का एक उपयुक्त रिट जारी करे, जिसके द्वारा लोक सेवा में चयन हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 22.09.2008 को उस सीमा तक रद्द एवं अपास्त किया जा सके जहाँ तक वह जनसंपर्क विभाग के 'सहायक निदेशक' एवं बिक्री कर (आबकारी) विभाग के 'आबकारी उप-निरीक्षक' के पदों से संबंधित है।

10.3 यह कि माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण प्रकृति का एक उपयुक्त रिट जारी करे, जिसके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-2 द्वारा जारी सफल अभ्यर्थियों की आक्षेपित चयन सूची जिसका प्रकाशन दिनांक 06.05.2009 को 'रोजगार और नियोजन' में किया गया था,को रद्द किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.4 यह कि माननीय न्यायालय 'परमादेश' प्रकृति का एक उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिसके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-2 को यह निर्देश दिया जाये कि वह विधि के अनुसार, सही प्रश्नों एवं उत्तरों के आधार पर एवं सटीक गणना करते हुए उक्त प्रारंभिक परीक्षा-2009 का नवीन परीक्षा परिणाम घोषित करे।

10.5 यह कि माननीय न्यायालय 'परमादेश' प्रकृति का एक उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिसके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-2 को यह निर्देश दिया जाये कि वह चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सफल अभ्यर्थियों की नई प्रावीण्य सूची घोषित करे, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम, अनुक्रमांक तथा कुल प्रावीण्य सूची में प्राप्त स्थान के साथ-साथ श्रेणीवार प्रावीण्य सूची में प्राप्त स्थान का भी विवरण सम्मिलित हो।

याचिकाकर्ता के अनुसार सेट-ए के प्रश्न क्रमांक- 2, 10, 24, 27, 50, 61,65, 66, 86, 87 और 88 में कुछ त्रुटियाँ है।

इसके अतिरिक्त, इस याचिका में याचिककर्तागण ने लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई आरक्षण रोस्टर के आधार पर परीक्षा को चुनौती दिया था तथापि, लोक सेवा आयोग एवं राज्य

सरकार के जवाब-दावा के अवलोकन के पश्चात, तर्क/बहस के दौरान याचिककर्तागण ने इस याचिका में जहाँ तक यह आरक्षण रोस्टर का सम्बन्ध है, बल नहीं दिया है।

8. **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक- 4141/09 (अभिषेक कुमार पाण्डेय बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य)</u>** में, याचिककर्तागण द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग किया गया है-

> 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरदातागण को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वे राज्य लोक सेवा आयोग सेवा परीक्षा-2008 की प्रारंभिक परीक्षा पुनः आयोजित करें।
>
> 10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरदाता क्रमांक-2 एवं 3 को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वे उचित मार्गदर्शन के अधीन, निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन करें।
>
> 10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरदातागण को यह निर्देश दे कि इस रिट याचिका के अंतिम निराकरण तक, दिनांक 12 एवं 13 सितंबर 2009 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के अगले चरण की प्रक्रिया को स्थगित रखे ।
>
> 10.4 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरदातागण को यह निर्देश दे कि प्रारंभिक परीक्षा-2008 को निरस्त किया जाए, अथवा याचिकाकर्ता को दिनांक 12 एवं 13 सितंबर 2009 को निर्धारित मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण के अनुसार सेट-सी के प्रश्न क्रमांक 2, 9, 17, 20, 24, 32 और 96 में कुछ त्रुटियाँ है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 18.02.09 को प्रस्तुत आपत्ति (अनुलग्नक पी/5), लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत प्राप्त कर लिया गया था तथा इसकी पावती भी उसी तिथि 18.02.09 को याचिकाकर्तागण को प्रदान कर दिया गया था। इस याचिका में, याचिकाकर्तागण ने बाहरी अभ्यर्थियों के अत्यधिक चयन के आधार पर परीक्षा की वैधता को भी चुनौती दिया था , किंतु बहस के दौरान याचिकाकर्तागण ने इस

बिंदु पर बल नहीं दिया, क्योंकि वे लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा से संतुष्ट थे।

9**. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-5074/09 (शम्भू कुमार गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य)** में, याचिककर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग किया गया है-

> 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरदाता क्रमांक-2 एवं 3 द्वारा घोषित प्रारंभिक परीक्षा-2008 के परिणाम दिनांक 06/05/09 को रद्द/अपास्त करने की कृपा करें, तथा उत्तरदातागण को यह निर्देश देने की कृपा करें कि 'डी-सेट के प्रश्न क्रमांक 16, 21, 52 एवं 58 के सही उत्तरों के आधार पर अंकों की उचित गणना करते हुए नया परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
>
> 10.2 अथवा विकल्प के रूप में माननीय न्यायालय कृपया उत्तरदाता क्रमांक-2 एवं 3 को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वे प्रारंभिक परीक्षा पुनः आयोजित करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के अनुसार सेट-डी के प्रश्न क्रमांक 16, 21, 52 और 58 में कुछ त्रुटियाँ है।

10. याचिकाकर्तागण के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में 1,28,152 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दिनांक 05.02.09 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 98 प्रश्नों के मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा दो प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को विलोपित कर दिया गया है। दिनांक 05.02.09 को ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक सूचना प्रकाशित किया गया,जिसके माध्यम से मॉडल उत्तरों के संबंध में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित किया गया था। दिनांक 06.05.09 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'पी.एस.सी.') द्वारा 94 प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, क्योंकि पी.एस.सी. के अनुसार विभिन्न अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत आयोग ने चार और प्रश्नों को विलोपित करने का निर्णय लिया था।

11. उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग (पी.एस.सी) द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा के अनुसार, उन प्रश्नों के संबंध में जिन्हें आयोग द्वारा विलोपित किया गया था अर्थात दो प्रश्न मॉडल उत्तरों की घोषणा के समय और चार प्रश्न आपत्तियां प्राप्त होने के पश्चात, इन सभी 6 प्रश्नों के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक प्रदान किए गए थे। आगे निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था और प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा एवं उसके पश्चात होने वाले साक्षात्कार के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा (छंटनी परीक्षा) मात्र था। यह भी निर्विवाद है कि प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आगे की किसी भी परीक्षा के लिए नहीं गिना जाना था। यह भी निर्विवाद है कि प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता से संबंधित था। लोक सेवा आयोग (पी.एस.सी.) परीक्षा के स्वरूप के अनुसार, अभ्यर्थियों को चार सेट (अ, ब, स और द) दिए गए थे, जिनमें 100 समान प्रश्न और उत्तर अलग-अलग क्रम संख्या में अंकित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इन सभी याचिकाओं में उन विशिष्ट प्रश्नों और उत्तरों की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दिया गया है जो अभ्यर्थियों से पूछे गए थे और याचिकाकर्तागण के अनुसार, कुछ प्रश्नों को लोक सेवा आयोग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया है, जबकि वे सही थे; और कुछ अन्य प्रश्नों के संबंध में, यद्यपि अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं, किंतु लोक सेवा आयोग द्वारा उनका सही ढंग से निराकरण नहीं किया गया, क्योंकि या तो प्रश्न स्वयं गलत थे या प्रश्न और उत्तर दोनों ही त्रुटिपूर्ण थे, और इस प्रकार अंतिम परिणाम में भिन्नता उत्पन्न हुआ है। विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण ने कई प्रश्नों की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दिया है। हालांकि, बहस के दौरान याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं ने सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत यह तर्क प्रस्तुत किया कि वे अपने तर्क केवल पांच प्रश्नों तक ही सीमित रख रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सेटों में समाहित इन प्रश्नों का सार भी प्रस्तुत किया है और सुलभ संदर्भ के लिए, इन पांच सामान्य प्रश्नों को सेट ‘डी’ से लिया जा रहा है, जो कि प्रश्न क्रमांक-16, प्रश्न क्रमांक-21, प्रश्न क्रमांक-52, प्रश्न क्रमांक-58 और प्रश्न क्रमांक-64 हैं।

13. सेट 'डी ' का प्रश्न क्रमांक 16 (जो सेट 'A' में प्रश्न क्रमांक 65, सेट 'बी ' में प्रश्न क्रमांक 23 और सेट 'सी ' में प्रश्न क्रमांक 2 है), इस प्रकार है:-

कथन - चन्द्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है।

कारण -चन्द्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है।

निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए।

ए) कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है।

बी) कथन और कारण दोनों सही है, परन्तु कारण कथन को सही स्पष्ट करता है।

सी) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

डी) कथन गलत है, परन्तु कारण सही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Assertion (A) — The weight of human being on the moon is 1/6 in comparison to earth

Reason (R) — The moon does not have gravity like earth

Select the answer from the/following codes-

a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.

c) A is true, but R is false.

d) A is false, but R is true.

उत्तरदाता/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार, उपरोक्त प्रश्न का मॉडल उत्तर 'स' है जो कि सही है, जबकि याचिकाकर्तागण के अनुसार मॉडल उत्तर सही नहीं है। याचिकाकर्तागण का आगे यह अभिकथन है कि दिए गए विकल्पों (अ,ब,स,द) में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न के संबंध में, लोक सेवा आयोग की ओर से आगे यह तर्क दिया गया है कि सेट-डी में मॉडल उत्तर और सही उत्तर 'स' ही है, और भौतिक शास्त्र के विषय-विशेषज्ञ की राय के अनुसार, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है या अधिक, का कारण नहीं दिया गया है।

14. सेट 'डी ' का प्रश्न क्रमांक 21 (जो सेट 'ए' में प्रश्न क्रमांक 70, सेट 'बी ' में प्रश्न क्रमांक 28 और सेट 'सी ' में प्रश्न क्रमांक 7 है), इस प्रकार है-

सूची 1 (वैज्ञानिक) सूची 2 (आविष्कार) को कूट के आधार पर मिलाइये-

सूची 1	सूची 2
1. रदरफोर्डस	पावरलूम
2. अल्फ्रेड नोबल	टेलीफोन
3. कार्टराइट	डायनामाइट
4. ग्राहम बेल	एटम बम

कूट

अ) 1- स, 2-अ, 3-ब, 4-द

ब) 1-द, 2-स. 3-अ, 4-ब,

स) 1-अ, 2-ब, 3-ग, 4-स

द) 1-ब, 2-द, 3-स, 4- अ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Match List 1 (Scientists) and List 2 (inventions) on the basis of List 1

1. Rutherford	A. Powerloom
2. Alfred Nobel	B. Telephone
3. Cartwright	C. Dynamite
4. Graham Bell	D. Atom Bomb

a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D b) 1-D, 2-C, 3-A, 4-B

c) 1-A, 2-B, 3-D, 4-C d) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A

उत्तरदाता/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार, उपरोक्त प्रश्न का मॉडल उत्तर 'ब' है जो कि सही है, जबकि याचिकाकर्तागण के अनुसार यह प्रश्न स्वयं में त्रुटिपूर्ण है और कोई भी विकल्प सही नहीं है। लोक सेवा आयोग के मॉडल उत्तर के अनुसार, रदरफोर्ड ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, जबकि याचिकाकर्तागण के अनुसार, रदरफोर्ड ने केवल परमाणु बम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न कि परमाणु बम का। रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-5074/09 में याचिकाकर्ता ने ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार 'ऑटो हान' द्वारा किया गया था। इस प्रश्न के संबंध में, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए आयोग द्वारा इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। यद्यपि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक-4141/2009 के याचिकाकर्ता ने समय सीमा के भीतर आपत्ति उठाई थी, जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा अनुलग्नक पी-5 के माध्यम से विधिवत प्राप्त किया गया था। इसके बावजूद, उक्त प्रश्न के संबंध में आपत्ति पर लोक सेवा आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सेट 'डी' का प्रश्न क्रमांक-52 (जो सेट 'ए' में प्रश्न क्रमांक 10, सेट 'बी ' में प्रश्न क्रमांक 59 और सेट 'सी ' में प्रश्न क्रमांक 24 है), इस प्रकार है

के. के.बिडला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई?

ए) सरस्वती सम्मान बी) आचार्य तुलसी सम्मान

सी) व्यास सम्मान डी) यति यतनलाल सम्मान

Which prize was instituted by K.K Birla Foundation in 1992 for outstanding contribution in literature?

a) Saraswati Samman b) Acharya Tulsi Samman

C) Vyas Samman d) Yati Yatanlal Samman

उत्तरदाता/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार, उपरोक्त प्रश्न का मॉडल उत्तर 'अ ' है जो कि सही है, जबकि याचिकाकर्तागण के अनुसार यह प्रश्न स्वयं में त्रुटिपूर्ण है और कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान दोनों ही बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किए गए थे, जबकि प्रश्न में इनका संबंध वर्ष 1992 से बताया गया था। इस प्रश्न के संबंध में लोक सेवा आयोग की ओर से आगे यह तर्क दिया गया है कि मॉडल उत्तर और सही उत्तर 'अ' ही है क्योंकि विषय-विशेषज्ञ की राय यह थी कि के.के. बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। विशेषज्ञ के अनुसार, प्रश्न के मुख्य उद्देश्य को देखा जाना चाहिए और इसकी स्थापना का वर्ष 1991 है या 1992, यह महत्वहीन है।

16. सेट 'डी ' का प्रश्न क्रमांक 58 (जो सेट 'ए' में प्रश्न क्रमांक- 2, सेट 'बी ' में प्रश्न क्रमांक-44 और सेट 'सी' में प्रश्न क्रमांक-9 है), इस प्रकार है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है?

ए) कोमियम, निकल और लोहा बी) निकल, लोहा और कार्बन

सी) लोहा, कार्बन और तांबा डी) लोहा, कोमियम और कार्बन

Which of the following elements are included in stainless steel?

a) Chromium, Nickel and Iron b) Nickel, Iron and Carbon

c) Iron, Carbon and Copper d) Iron, Chromium and Carbon

उत्तरदाता /छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार, मॉडल उत्तर और सही विकल्प 'द ' है, जबकि याचिकाकर्तागण के अनुसार सही उत्तर 'अ' है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकेल और आयरन जैसे तत्व शामिल होते हैं। इसके समर्थन में, याचिकाकर्तागण द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2437/2009 में सुसंगत दस्तावेज़ (अनुलग्नक पी -19) प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रश्न के संबंध में आगे यह तर्क दिया गया कि रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ से विशेषज्ञ राय लिया गया था , और मॉडल व सही उत्तर 'द' है क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक 'निम्न-कार्बन स्टील' है जिसमें क्रोमियम की उपस्थिति अनिवार्य है, इसीलिए सबसे उपयुक्त उत्तर 'द' है।

17. सेट 'डी' का प्रश्न क्रमांक 64 (जो सेट 'ए' में प्रश्न क्रमांक 50, सेट 'बी' में प्रश्न क्रमांक 36 और सेट 'सी ' में प्रश्न क्रमांक 57 है), इस प्रकार है-

कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?

ए) मोहिनी अत्तमृ बी) ओडिसी

सी) कथकली डी) मणिपुरी

Which dance is performed by male?

a) Mohini Attam b) Odissi

c) Kathakali d) Manipuri

उत्तरदाता/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मॉडल उत्तर के अनुसार सही विकल्प 'स ' है, जबकि याचिकाकर्तागण का तर्क है कि प्रश्न स्वयं ही त्रुटिपूर्ण है और कोई भी विकल्प सही नहीं है। अपने पक्ष के समर्थन में, याचिकाकर्तागण द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3202/09 (अनुलग्नक पी - 13) में सुसंगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रश्न के संबंध में, इतिहास विषय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर से विशेषज्ञ राय लिया गया था , जिसके अनुसार मॉडल उत्तर और सही विकल्प 'स' ही है। विशेषज्ञ द्वारा दिया गया तर्क यह है कि यद्यपि कथकली नृत्य में महिलाएं भी भाग लेती हैं, तथापि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है और अधिकांश प्रस्तुतियों में पुरुषों को ही नर्तकों के रूप में दिखाया जाता है। विशेषज्ञ का आगे यह भी कहना है कि प्रश्न में "केवल" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि इसके स्थान पर "पुरुष प्रधान" शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विज्ञापन के साथ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा योजना (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर अ, ब, स और द के रूप में समूहबद्ध होंगे, जिनमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा। परीक्षा योजना में आगे यह भी उल्लेखित है कि अभ्यर्थी को उत्तर-पुस्तिका में केवल वही विकल्प (अ, ब, स, या द) अंकित करना होगा जिसे उसके द्वारा सही उत्तर माना गया हो। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि परीक्षा योजना में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभ्यर्थी "निकटतम संभावित उत्तर" दे सकता है, और न ही वह यह कह सकता है कि प्रश्न या उत्तर त्रुटिपूर्ण है। अतः, उनके अनुसार यह लोक सेवा आयोग का दायित्व था कि अभ्यर्थियों के समक्ष कोई भी

संदिग्ध/अस्पष्ट प्रश्न न रखा जाए। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग उक्त पाँच प्रश्नों के संबंध में मॉडल उत्तरों को संशोधित करने और तदुपरांत अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि ये प्रश्न/उत्तर त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए संबंधित विषय के विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उक्त प्रतिवेदन के आधार पर ही यह न्यायालय आगे की कार्यवाही करे। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, लोक सेवा आयोग से यह अपेक्षा थी कि वह राज्य की इस अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा के संचालन में निष्पक्षता और ईमानदारी बरते, तथा प्रश्नपत्र के चयन और मॉडल उत्तरों के प्रकाशन से पूर्व पर्याप्त सावधानी बरते। उनके अनुसार, आयोग द्वारा पूर्व में ही विलोपित किए जा चुके छह प्रश्नों के अतिरिक्त, उन्हें संबंधित विषय के विशेषज्ञ पैनल से राय लेने के पश्चात उक्त पाँच प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को संशोधित करना चाहिए था, न कि उनके द्वारा नियुक्त तथाकथित एक विशेषज्ञ के आधार पर। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग ने अपने जबाबदावा में याचिकाकर्तागण द्वारा चिह्नित किए गए प्रश्नों और उत्तरों का खंडन करने का कष्ट तक नहीं किया है और उनका जवाबदावा इस संबंध में मौन है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्तागण द्वारा उक्त पाँच प्रश्नों और उनके उत्तरों से संबंधित अपने अभिवचनों की पुष्टि के लिए आवश्यक साहित्य/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं, जबकि उत्तरदातागण ने यह दर्शित करने के लिए कि उनके द्वारा दिया गया मॉडल उत्तर सही है, एक भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि प्रारंभ से ही उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग का आचरण ऐसा रहा है जहाँ वह न केवल परीक्षा संचालन में लापरवाह रहा, बल्कि उसने पारदर्शिता के साथ कार्य भी नहीं किया। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, परीक्षा के तत्काल पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के मध्य भारी असंतोष व्याप्त था और इसे शांत करने के उद्देश्य से, उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग ने अपने द्वारा प्रकाशित मॉडल उत्तरों के संबंध में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किया था, किंतु, इसके पश्चात आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को यह बताए बिना कि उसके द्वारा आगे की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, गुपचुप तरीके से निर्णय लिया गया। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात, यह उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग का कर्तव्य था कि वह उन पर निष्पक्ष रूप से विचार करे और पुनः सही मॉडल उत्तर प्रकाशित करे, ताकि अभ्यर्थियों को यह ज्ञात हो सके कि उनकी आपत्तियों का आयोग द्वारा उचित निराकरण किया गया है अथवा नहीं। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि जब मामला लोक महत्व का हो और लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हो, तो अभिवचनों की सामान्य तकनीकी कमियां

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। उनके अनुसार, याचिकाकर्तागण ने संभवतः इस न्यायालय से उचित अनुतोष न मांगा हो, किंतु अन्य याचिकाओं में की गई प्रार्थना से यह स्पष्ट है कि वे अपने प्रश्नों और उत्तरों की सही जांच कराने के इच्छुक हैं, न कि उत्तरदाता/आयोग की मनमानी के अनुसार। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि मामला केवल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है और आज की तिथि तक किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः पात्र अभ्यर्थी इस वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया कि आज की तिथि तक लोक सेवा आयोग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के नामों का प्रकाशन न तो समाचार पत्रों में और न ही वेबसाइट पर किया गया है, अतः उन्हें पक्षकार बनाने का प्रश्न ही शाब्दिक रूप से असंभव है। उनका तर्क है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सही उत्तरों के आधार पर नवीन मूल्यांकन किया जाता है, तो उससे कौन प्रभावित होगा; इसलिए याचिकाकर्तागण के लिए व्यक्तिगत रूप से निजी उत्तरवादीगण को चिह्नित करना कठिन है। उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया कि चूंकि लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए भी वे आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। उनके अनुसार, लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, वे पात्र अभ्यर्थियों द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत किए जा सकते थे, और इस आधार पर भी वे आवश्यक पक्षकार नहीं रह जाते हैं। याचिकाकर्तागण के अनुसार, इस प्रतियोगी परीक्षा में तीन अंकों का प्रत्येक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक-एक अंक का अत्यधिक मूल्य है क्योंकि परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। याचिकाकर्तागण का यह तर्क है कि वर्तमान मामले में यदि पाँच प्रश्नों और उनके उत्तरों को त्रुटिपूर्ण मान लिया जाता है, तो कुल 15 अंकों का अंतर आएगा और इस प्रकार परीक्षा का परिणाम व्यापक रूप से प्रभावित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य बनाम इंदर मोहन बेंसीवाल निर्देश-सह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए.आई.आर 1999 एस.सी 2583; केनरा बैंक बनाम वी.के. अवस्थी, ए.आई.आर 2005 एस.सी 2090; अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य (2007) 4 एस.सी.सी 54; मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम वाई.टोकन सिंह एवं अन्य (2007) 5 एस.सी.सी 65; सुभाष चंद्र वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1995 सप्ली.(1) एस.सी.सी 325; तथा कानपुर यूनिवर्सिटी बनाम समीर गुप्ता, (1983) 4 एस.सी.सी 309** में प्रकाशित न्यायिक दृष्टांतों का अवलंब लिया है।

19. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का उत्तर देते हुए, उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार, परीक्षा का आयोजन दिनांक 01.02.2009 को किया गया था, मॉडल उत्तर दिनांक 05.02.2009 को प्रकाशित हुआ था और परीक्षा परिणाम दिनांक 06.05.2009 को घोषित किया गया था; अतः याचिकाकर्ताओं को परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी और परीक्षा के तत्काल पश्चात इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह न्यायालय, संबंधित विषय का विशेषज्ञ न होने के कारण, आयोग द्वारा दिए गए प्रश्नों और उत्तरों की प्रमाणिकता या सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता है। उत्तरदाता/आयोग के अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्तागण ने परीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा में असफल घोषित होने के पश्चात, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संपूर्ण परीक्षा निरस्त करने के आशय से उनके द्वारा ये याचिकाएं प्रस्तुत किया गया हैं, और इस प्रकार उनके अनुसार यह याचिका पोषणीय नहीं है। उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अंततः परीक्षा को किसी समय पर पूर्णता प्राप्त करनी होती है, अतः यदि कुछ प्रश्न भ्रामक भी हों, तो उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि यदि प्रश्नों और उत्तरों में कोई भ्रम की स्थिति थी, तब अभ्यर्थी से निकटतम संभावित उत्तर देने की अपेक्षा किया गया था और तदनुसार, उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन विधि के अनुरूप है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग मॉडल उत्तरों के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं था, फिर भी पारदर्शिता दर्शित करने के उद्देश्य से मॉडल उत्तरों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। उनके प्रकाशन के तुरंत बाद आपत्तियां आमंत्रित किया गया और विधि के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों पर विशेषज्ञों की राय लेने के उपरांत उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया गया। यह तर्क भी दिया गया कि कुछ याचिकार्तागण द्वारा प्रश्नों और उत्तरों की वैधता पर सवाल उठाते हुए उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग के समक्ष कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया था, किंतु फिर भी उन्होंने विलंब से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता के अनुसार, याचिकार्तागण द्वारा किया गया स्व-मूल्यांकन उनके लिए सहायक नहीं होगा और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के पश्चात आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन पूर्णतः उचित है। यह तर्क दिया गया है कि लोक सेवा आयोग ने अत्यंत पारदर्शी तरीके से अपनी बैठक में विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था। प्रत्येक प्रश्न को उक्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात, मॉडल उत्तरों और प्रश्नों की शुद्धता के संबंध में आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया। यह तर्क दिया गया है कि विशेषज्ञों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा लिए गए निर्णय और कथित प्रश्नों एवं उत्तरों को विलोपित किये जाने के विरुद्ध कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सभी रिट याचिकाओं में किए गए अभिवचन अत्यंत अस्पष्ट हैं, और जब तक विशिष्ट अभिवचन नहीं किए जाते, याचिकाकर्तागण मांगे गए अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। उत्तरदातागण के अधिवक्ता के अनुसार, विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए मत को न तो चुनौती दिया गया है और न ही विशेषज्ञों या आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई दुर्भावना का आरोप लगाया गया है। उत्तरदातागण के अधिवक्ता के अनुसार, जबाबदावा में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संबंधित विषय के विशेषज्ञों से राय लिया गया था , किंतु इसके बावजूद याचिकाकर्तागण द्वारा उत्तरदातागण के उक्त कथनों का खंडन करते हुए कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही उन्होंने कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। उत्तरदातागण के अधिवक्ता का तर्क है कि जब उत्तरदातागण द्वारा विशेषज्ञों की राय ले लिया गया है, तो किसी अन्य विशेषज्ञ समिति के गठन और उनसे प्रतिवेदन माँगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि पात्र अभ्यर्थियों को उत्तरदातागण के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है और न्यायालय के समक्ष उनकी अनुपस्थिति में याचिकाकर्तागण उनके विरुद्ध किसी भी अनुतोष का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश से वे पात्र अभ्यर्थी ही प्रभावित होंगे। अपने तर्कों के समर्थन में, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य; नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य ,मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य (2001) 7 एस.सी.सी 639; के.एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य (2006) 6 एस.सी.सी 395; बी.एस.एन. जोशी एवं संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य (2006)11 एस.सी.सी 548; पंकज शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य (2008) 4 एस.सी.सी 273; बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य (2010) 8 एस.सी.सी 372; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम परितोष भूपेशकुमार सेठ एवं अन्य (1984) 4 एस.सी.सी 27; तथा राजस्थान प्रदेश वी.एस. सरदारशहर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य जे.टी 2010 (6) एस.सी 306** में प्रकाशित निर्णयों का अवलंब लिया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उत्तरदातागण के अधिवक्ता के तर्कों का खंडन करते हुए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदातागण ने अपने जवाब-दावा में ऐसी कोई

आपत्तियां नहीं उठाई हैं जो बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया हो । उनका तर्क है कि रिट याचिका दायर करने में कोई विलंब नहीं हुआ है और याचिकाकर्तागण के पास संबंधित विषय के विशेषज्ञों के विरुद्ध दुर्भावना के आरोप लगाने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि न तो जवाब-दावा में और न ही किसी प्रकाशन के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि संबंधित विषय में किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई थी या उनकी राय आमंत्रित की गई थी। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, केवल बहस की कार्यवाही के दौरान ही याचिकाकर्तागण को संबंधित विषय में विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में ज्ञात हुआ। उनका तर्क है कि कथित विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति उत्तरदाता/लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञों के नाम तक आमंत्रित किये बिना अपनी मनमर्जी के आधार पर किया गया है। उनके अनुसार, अभिलेख से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आधार पर इन कथित विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति किया गया था। अतः यह तर्क दिया गया है कि पूर्ण निष्पक्षता के लिए, उत्तरदाता /लोक सेवा आयोग को प्रत्येक विषय में कम से कम तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए थी और उसके पश्चात ही आगे बढ़ना चाहिए था। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, स्वयं विषय-विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के अनुसार ही कुछ प्रश्न भ्रामक है और विशेषज्ञों द्वारा प्रामाणिक रूप से नहीं, अपितु केवल संभावनाओं के आधार पर अपनी राय व्यक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. दिनांक 17.10.2011 को पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात, इस न्यायालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रत्येक विषय में तीन विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने और याचिकाकर्तागण द्वारा इंगित पांच विवादित प्रश्नों की सत्यता/शुद्धता की जांच करने का निर्देश दिया था। दिनांक 04.11.2011 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रत्येक विषय में तीन विशेषज्ञों की समिति द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन की प्रति सभी याचिकाकर्तागण को विधिवत प्रदान किया गया है। इस प्रकार गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:-

अतः उपर्युक्त कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने वाले विषयवार विषय विशेषज्ञों की सूची निम्नानुसार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:-

हिन्दी साहित्य- 1) प्रो. गुलाब सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्य)

2) प्रो. चितरंजन कर (सेवानिवृत्त प्राध्यापक)

3) प्रो. सी. एम. मुखर्जी (सेवानिवृत्त प्राध्यापक)

उक्त समिति की बैठक दिनांक 21.10.11 21 समय दोपहर 02.00 बजे होगी।

रसायन शास्त्र- 1) प्रो. कलोल घोष (प्राध्यापक)

2) प्रो. एस.के. राजपूत (प्राध्यापक)

3) प्रो. श्रीमती रमा पाण्डे (प्राध्यापक)

उक्त समिति की बैठक दिनों 21.10.11 समय दोपहर 04.00 बजे होगी।

नृत्य संगीत- 1) डॉ. श्रीमती माण्डवी सिंह (कुलपति, इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ)

2) डॉ. स्वपनिल करमहे (प्राध्यापक)

3) डॉ. ऋचा ठाकुर (प्राध्यापक)

उक्त समिति की बैठक दिनों 22.10.11 समय दोपहर 01.00 बजे होगी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भौतिक शास्त्र- 1) प्रो. बी. पी. चंद्रा (पूर्व कुलपति पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर)

2) डॉ. आर. एन. बघेल (एसोसिएट प्राध्यापक)

3) डॉ. डी. पी. बिसेन (एसोसिएट प्राध्यापक)

उक्त समिति की बैठक दिनांक 22.10.11 समय दोपहर 02.00 बजे होगी।

22. सेट-डी के प्रश्न क्रमांक-16 (जो सेट-ए में प्रश्न क्रमांक-65, सेट-बी में प्रश्न क्रमांक-23 तथा सेट-सी में प्रश्न क्रमांक-2 है) के संबंध में, संबंधित विषय के विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई राय के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर 'ब' है, जबकि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मॉडल उत्तर के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर 'स' है। इस उत्तर के समर्थन में इन विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

उक्त प्रश्न का सही उत्तर "ब" है (अर्थात "ए" एवं "आर" दोनों सत्य है परन्तु "आर" "ए" का सही स्पष्टीकरण नहीं है)

23. सेट-डी के प्रश्न क्रमांक 21 (जो सेट-ए में प्रश्न संख्या 70, सेट-बी में प्रश्न संख्या 28 तथा सेट-सी में प्रश्न संख्या 07 है) के संबंध में, संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति ने अपना अभिमत/राय निम्नानुसार दिया है:

> 'वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के तीन मिलान सही हैं, परंतु एक आविष्कार अर्थात् परमाणु बम, वैज्ञानिकों की सूची-1 में दिए गए किसी भी वैज्ञानिक के साथ सुमेलित नहीं है। अतः, आयोग द्वारा जारी मॉडल उत्तर लगभग सही है।'

24. सेट-डी के प्रश्न क्रमांक-52 (जो सेट-ए में प्रश्न संख्या 10, सेट-बी में प्रश्न क्रमांक- 59 तथा सेट-सी में प्रश्न क्रमांक-24 है) के संबंध में, संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई राय के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर 'अ' है। लोक सेवा आयोग के अनुसार भी इस प्रश्न का मॉडल उत्तर भी 'अ' ही है। इस उत्तर के समर्थन में इन विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "विशेषज्ञ समिति के अनुसार श्री के.के. बिडला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन् 1991 में "सरस्वती सम्मान' की स्थापना की गई। आयोग द्वारा प्रस्तुत मॉडल उत्तर सही है। विशेषज्ञ समिति सर्वसम्मिति से इस की संपुष्टि करती है। वस्तुतः यह सम्मान 1991 में स्थापित किया गया, जिस का कोई प्रभाव मॉडल उत्तर पर नहीं पडता। प्रश्न की मूल चेतना स्थापना वर्ष न होकर सम्मान का नाम है।"

22. सेट-डी के प्रश्न क्रमांक 58 (जो सेट-ए में प्रश्न क्रमांक-2, सेट-बी में प्रश्न क्रमांक- 44 तथा सेट-सी में प्रश्न क्रमांक 09 है) के संबंध में, संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई राय के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर 'द' है। लोक सेवा आयोग के अनुसार भी इस प्रश्न का मॉडल उत्तर भी 'द' ही है। हालांकि, विशेषज्ञ समिति द्वारा सही उत्तर के समर्थन में कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

23. सेट-डी के प्रश्न क्रमांक 64 (जो सेट-ए में प्रश्न संख्या 50, सेट-बी में प्रश्न संख्या 36 तथा सेट-सी में प्रश्न संख्या 57 है) के संबंध में, संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई राय के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर 'स' है। लोक सेवा आयोग के अनुसार भी इस प्रश्न का मॉडल उत्तर 'स' ही है। विशेषज्ञ समिति द्वारा सही उत्तर के समर्थन में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया है:

> "कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली प्रधानतः पुरुष द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है अतः जो विकल्प आयोग द्वारा दिये गये है,उनमें मॉडल उत्तर कथकली ही सही है"

24. इस प्रकार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति के अनुसार, केवल प्रश्न क्रमांक-16 का मॉडल उत्तर गलत पाया गया है। बहस के दौरान, आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर अत्यंत निष्पक्षता के साथ यह निवेदन किया कि आयोग उन सभी उम्मीदवारों को, जिनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए नहीं हुआ है, इस प्रश्न के संबंध में 'प्रो-राटा' (अनुपातिक) अंक प्रदान करने के लिए तैयार है, चाहे उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं। आयोग की ओर से आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि यह प्रश्न तीन अंकों का था, किंतु प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक दिए जाने के कारण प्रत्येक असफल उम्मीदवार को इस प्रश्न के विरुद्ध 3.1915 अंक प्राप्त होंगे। आयोग की कच्ची गणना के अनुसार, यदि ऐसे प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक प्रदान किए जाते हैं, तो लगभग 230 उम्मीदवार लाभान्वित होंगे और वे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हो जाएंगे। लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को आगे सूचित किया कि पूर्व में मुख्य परीक्षा के लिए 7609 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था और यदि अब इन 238 उम्मीदवारों को उक्त संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो यह संख्या बढ़कर 7,847 हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, तो इससे सभी के हितों की रक्षा होगी, अर्थात् वर्तमान याचिकाकर्ता, वे उम्मीदवार जो इस न्यायालय की शरण में नहीं आ सके और वे चयनित उम्मीदवार जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है। आयोग द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया और यह तर्क दिया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तदनुसार सभी उम्मीदवारों को अंक प्रदान किए जाने चाहिए। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, यदि कुछ चयनित उम्मीदवारों ने प्रश्न क्रमांक 16 के संबंध में सही उत्तर नहीं दिया है, तब पुनर्मूल्यांकन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के पश्चात उनके तीन अंक काट लिए जाने चाहिए और वे उम्मीदवार जो चयनित नहीं हो सके थे किंतु उन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों में तीन अंक जोड़ दिए जाने चाहिए और तत्पश्चात संपूर्ण प्रावीण्य सूची नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया कि सेट-डी के प्रश्न क्रमांक- 21 के संबंध में, जहाँ विशेषज्ञ समिति ने यह राय दी है कि 'मॉडल उत्तर लगभग सही है', उक्त प्रश्न विलोपित किये जाने योग्य है क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया में 'लगभग सही' के रूप में कोई अवधारणा नहीं हैं। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के अनुसार, प्रश्न क्रमांक- 21 को विलोपित करके, आयोग को विवादित प्रश्नों के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात सभी उम्मीदवारों को 'प्रो-राटा' (अनुपातिक) अंक प्रदान करने चाहिए, चाहे वे चयनित हुए हों या नहीं। सेट-डी के शेष तीन प्रश्नों, अर्थात् प्रश्न क्रमांक 52, 58 और 64 के संबंध में, याचिकाकर्तागण ने विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है और उनके संबंध में आगे कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।"

26. इस न्यायालय को याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के उस तर्क में कोई बल नहीं मिलता कि प्रश्न क्रमांक 21 को विलोपित किया जाए और सभी उम्मीदवारों, चाहे वे सफल हों या असफल, उन्हें 'प्रो-राटा' (आनुपातिक) अंक प्रदान किए जाएं। विशेषज्ञों ने यह अभिमत दिया है कि मॉडल उत्तर 'ब' लगभग सही है। **सुभाष चंद्र वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, जो 1995 सप्ली. (1) एस सी सी 325** में प्रकाशित है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "कई विवादास्पद प्रश्न निर्धारित किए गए थे और कुछ प्रश्नों के संबंध में एक से अधिक उत्तर हो सकते थे: एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में, एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं। उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन बहुसंख्यक उत्तरों में से उस उत्तर पर निशान लगाएँ जो सबसे उपयुक्त हो। प्रश्न और उत्तर विषय-विशेषज्ञों द्वारा मानक पुस्तकों का संदर्भ लेकर तैयार किए गए थे। इसलिए, यह कहना गलत है कि एक प्रश्न के एक से अधिक 'सही' उत्तर होंगे। भले ही उत्तर एक से अधिक हो सकते हों, अभ्यर्थियों को वैकल्पिक उत्तरों में से उस उत्तर का चयन करना होगा जो अधिक सही

है। किसी भी स्थिति में, यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे सभी अभ्यर्थियों द्वारा महसूस किया गया है"

अत: यह नहीं कहा जा सकता, जैसा कि याचिकाकर्तागण की ओर से तर्क दिया गया है, इस प्रश्न को हटाने और पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक प्रदान किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि परीक्षा योजना में 'निकटतम संभावित उत्तर' देने का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुदृढ़ मत है कि इस प्रश्न के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाया गया पक्ष सही प्रतीत होता है।"

27. चूँकि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, लोक सेवा आयोग द्वारा पाँच विवादित प्रश्नों के संबंध में प्रत्येक विषय में तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति किया गया है और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को याचिकाकर्तागण द्वारा भी आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, अत: इस न्यायालय के लिए लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों द्वारा दी गई पूर्ववर्ती प्रतिवेदन के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तार पूर्वक दिए गए तर्कों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. यह न्यायालय लोक सेवा आयोग के इस तर्क में कोई बल नहीं पाता है कि वर्तमान याचिका विलंब से प्रस्तुत किया गया है और इसलिए आक्षेपित परिणाम में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा दिनांक **1.2.2009** को आयोजित किया गया था, मॉडल उत्तर दिनांक **5.2.2009** को प्रकाशित किया गया था, परीक्षा का परिणाम दिनांक **6.5.2009** को घोषित किया गया था और वर्तमान याचिकाएँ इस न्यायालय के समक्ष दिनांक **8.5.2009** को या उसके आसपास प्रस्तुत किया गया हैं। जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता, तब तक किसी अभ्यर्थी को यह ज्ञात नहीं होता कि वह चयनित है या नहीं, तथा केवल प्रश्नपत्रों के आधार पर वह इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर नहीं कर सकता था। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद याचिकाकर्तागण द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाएँ प्रस्तुत करने में कोई विलंब हुआ है।

29. यह न्यायालय लोक सेवा आयोग के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता है कि एक बार याचिकाकर्तागण द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने और असफल घोषित किए जाने के बाद, वे रिट

याचिका दायर नहीं कर सकते। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्तागण ने परीक्षा की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दिया है, बल्कि वे आयोग के उस पश्चातवर्ती कृत्य से व्यथित हैं, जिसमें परीक्षा आयोजित होने के बाद मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए और तभी याचिकाकर्ताओं को मॉडल उत्तरों में कथित दोषों के बारे में जानकारी हुई। परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व याचिकाकर्तागण के पास यह याचिका दायर करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उस समय तक उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और उनके मॉडल उत्तर क्या होंगे। अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्तागण को वर्तमान याचिकाएं दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

30. यह न्यायालय लोक सेवा आयोग के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता है कि अंततः परीक्षा को किसी समय पर अंतिम रूप प्राप्त करना ही होता है, इसलिए याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं। यदि लोक सेवा आयोग उचित ढंग से परीक्षा आयोजित नहीं करता है, और मॉडल उत्तर दोषपूर्ण पाए जाते हैं तब अभ्यर्थी को उन्हें चुनौती देने का पूर्ण अधिकार है; और लोक सेवा आयोग की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका प्रस्तुत करने से उन्हें केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि परीक्षा को तत्काल अंतिम रूप दिया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. यह न्यायालय याचिकाकर्तागण के इस तर्क में कोई बल नहीं पाता है कि प्रश्न क्रमांक- 16 और 21 के संबंध में सफल अभ्यर्थियों का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके पश्चात एक नई प्रावीण्य सूची तैयार की जानी चाहिए। चूँकि सफल अभ्यर्थी इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में उपस्थित नहीं हैं, और जब उन्हें प्रभावित किए बिना प्रश्न क्रमांक- 16 के संबंध में असफल अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जा सकता है, तब इस न्यायालय के लिए इस बिंदु पर विचार करना उचित नहीं होगा।

32. दोषपूर्ण प्रश्न को हटाने और उसके बदले प्रो -राटा (अनुपातिक) अंक आवंटित करने की प्रक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा '**पंकज शर्मा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**' (पूर्वोक्त) के मामले में ऐसा किया जाना मनमाना या तर्कहीन न मानते हुए विधिवत अनुमोदित किया गया है। अतः संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों और पाँच विवादित प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्तागण सहित सभी असफल अभ्यर्थियों को प्रश्न क्रमांक-16 के संबंध में प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक आवंटित करने का लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव न्यायसंगत और उचित

प्रतीत होता है। तदनुसार, लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्तागण सहित सभी असफल अभ्यर्थियों को प्रश्न क्रमांक- 16 के संबंध में प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक प्रदान करे और पुनः प्रावीण्य सूची तैयार करे। यदि प्रो-राटा (अनुपातिक) अंक आवंटित करने के पश्चात कोई अभ्यर्थी अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जाना चाहिए।

33. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के जिन न्यायिक निर्णयों अर्थात् एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य बनाम इंदर मोहन बेंसीवाल निर्देश-सह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वोक्त), केनरा बैंक बनाम वी.के. अवस्थी (पूर्वोक्त), अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त), मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम वाई.टोकन सिंह एवं अन्य (पूर्वोक्त), का सहारा लिया गया है, के तथ्य वर्तमान मामले के समान न होने के कारण याचिकाकर्तागण के लिए सहायक सिद्ध नहीं होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के आलोक में, उपर्युक्त सभी याचिकाएँ निराकृत की जाती हैं।

\

सही/-

(श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का के विरुद्ध शिकायत दर्ज होने पर ऐसी जांच में गोपनी अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादकर्ता - उत्तरा श्रीवास्तव, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur